जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चाँदपुर   दिनांक- 11.09.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 463/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम से संबंधित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरणः-

आज दिनांक 11.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत कस्बा चांदपुर के कराल फाटक के पास संचालित सलार होटल पर गौवंशीय मांस है । सूचना पर थाना चांदपुर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दो व्यक्ति 1.शफीक (होटल संचालक) पुत्र कफीलूद्दीन व 2.ताजिम पुत्र जलालुद्दीन निवासीगण ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को एक भगोने मे मांस सहित हिरासत मे लिया गया तथा पशु चिकित्सक से बरामद मांस की जांच कराई गई तो उक्त मांस गौवंशीय पशु का होना पाया। थाना चांदपुर पुलिस द्वारा शफीक व ताजिम उपरोक्त को कुल 25 किलोग्राम गौवंशीय मांस व एक भगोने सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 463/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया। उपरोक्त होटल को सीज किया गया है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हमसे बरामद हुए गौवंशीय मांस को हम अनीस निवासी गडडा कालोनी पतियापाडा की दुकान से खरीदकर लाये है। गौवंशीय मांस हमे भैंसवंशीय मांस से सस्ता मिल जाता है। हमारे द्वारा मोटा मुनाफा कमाने के लालच मे आकर गौवंशीय मांस खरीदा गया था।

अभियुक्त अनीस उपरोक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमो का गठन किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. शफीक (होटल संचालक) पुत्र कफीलूद्दीन निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
2. ताजिम पुत्र जलालुद्दीन निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

कुल 25 किलोग्राम गौवंशीय मांस व एक भगोना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री अजीत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2.हे0का0 361 राजेन्द्र सिंह चौहान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3.का0 1244 अनुज कुमार बाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
4.का0 671 जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 11.09.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने दो अभियुक्तों को चोरी की मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.09.2024 को वादी नौशाद अहमद पुत्र श्री इशहाक अहमद निवासी ग्राम अलादीनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दो अज्ञात लडको द्वारा वादी की मोटरसाइकिल सुजुकी जिक्सर नं0 UP20AR-5466 चोरी कर ली गई। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 446/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियुक्तगण 1.नाजिर पुत्र हकीमुद्दीन निवासी मौ0 इस्लामिया जुम्मा मस्जिद ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व 2.सादिक पुत्र वकील निवासी मौ0 खदक रहमान चौक ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 10.09.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.नाजिर पुत्र हकीमुद्दीन निवासी मौ0 इस्लामिया जुम्मा मस्जिद ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व 2.सादिक पुत्र वकील निवासी मौ0 खदक रहमान चौक ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को चोरी की गई मोटरसाइकिल सुजुकी जिक्सर नं0 UP20AR-5466 सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.नाजिर पुत्र हकीमुद्दीन निवासी मौ0 इस्लामिया जुम्मा मस्जिद ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2.सादिक पुत्र वकील निवासी मौ0 खदक रहमान चौक ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

चोरी की गई मोटरसाइकिल सुजुकी जिक्सर नं0 UP20AR-5466

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री बिरेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.हे0का0 535 भजनलाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3.हे0का0 194 अनुज राणा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

4.का0 1999 सतपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चाँदपुर दिनांक- 11.09.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 450/24 धारा 223/329(3)/324(2)/303(2)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.09.2024 को वादिनी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण चन्द्रशेखर पुत्र सत्यपाल, 2.गावस्कर चौहान पुत्र सत्यपाल व 3.पूजा पत्नी गावस्कर समस्त निवासीगण ग्राम सैन्दवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर वादिनी की खेत की मेंढ तोडकर मेंढ पर पर लगे सिहद्दे उखाडकर ले गए तथा वादिनी व वादिनी के परिजनो को जान से मारने की धमकी दी गई।

इस संबंध मे थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 450/24 धारा 223/329(3)/324(2)/303(2)/351(3) बीएनएस बनाम चन्द्रशेखर, गावस्कर व पूजा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

आज दिनांक 11.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त चन्द्रशेखर पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम सैन्दवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त अभियोग से संबंधित दो सिहद्दे बरामद किये गए। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

चन्द्रशेखर पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम सैन्दवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

खेत की मेंढ पर लगाये जाने वाले दो सिहद्दे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2.का0 668 राजकुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3.का0 2341 मौ0 सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 11.09.2024**

थाना नहटौर पुलिस द्वारा बाल अपचारी को चोरी किये गये जैक सहित पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

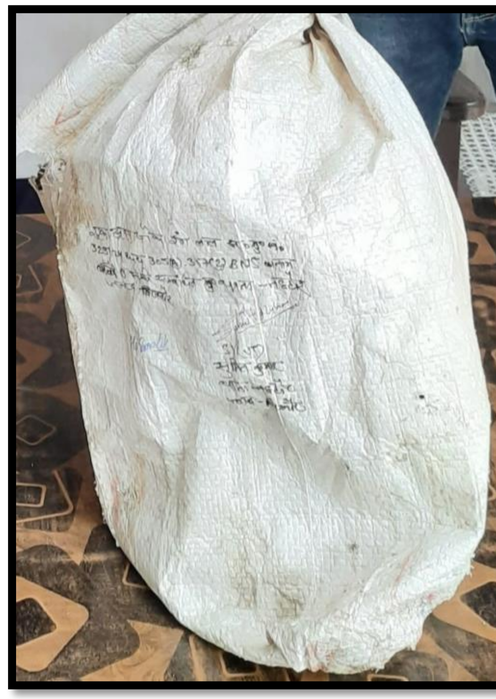

दिनांक 09.09.2024 को वादी श्री महताब पुत्र श्री राशिद निवासी मौ0 हाथी वाला मन्दिर कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि बाल अपचारी अभियुक्त द्वारा वादी की दुकान से बड़ा जैक चोरी कर लिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 325/2024 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 11.09.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारी की निशादेही पर कबाड़ी फुरकान पुत्र रमजानी निवासी मौ0 करबला नगीना रोड़ कस्बा व थाना कोतवाली देहात जनपद बजनौर की दुकान से मुकदमा उपरोक्त में चोरी किया गया एक बड़ा जैक लाल रंग बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पता –

एक बाल अपचारी

बरामदगी –

चोरी किया गया जैक

बाल अपचारी का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 325/2024 धारा 305(A) / 317(2) बीएनएस थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 533/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 555/2023 धारा 380/411 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 प्रशिक्षु श्री सुमित कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2.हे0कां0 797 सचिन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3.कां0 695 नवीन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 11.09.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 425/24 धारा 74/351(3) बीएनएस, धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम व धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.09.2024 को वादिनी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त फरदीन पुत्र तहसीन निवासी मौ0 नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की धेवती के साथ छेडछाड की गई तथा उसके परिजनो को जान से मारने की धमकी दी गई । इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 425/24 धारा 74/351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया । थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.फरदीन 2.मौ0 रिहान 3.सुल्तान 4.मौ0 आफताब व 5.फरहीन को गिरफ्तार किया जा चुका है । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 11.09.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त तलहा पुत्र शमीउल्लहा निवासी मौ0 नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तलहा पुत्र शमीउल्लहा निवासी मौ0 नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2-हे0कां0 201 भूप सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

3-म0कां0 243 रेशमा थाना धामपुर जनपद बिजनौर।